न्यायालय माध्यस्थम अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या 42/2015 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 14.12.2015

1–कैलाशचन्द्र पिता रामेश्वर लाल हेड़ा निवासी महेश नगर, चित्तौड़गढ़
2–मुरलीधर पिता छीतरमल बसेर निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक एवं राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड बांसवाडा, डाक बंगला रोड़ प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़

–विपक्षी

प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 5 जी (5) राष्ट्रीय राज मार्ग अधिकरण प्रकरण संख्या 356/2013 दिनांक 02.12.2014 सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

उपस्थितिः– 1–श्री शान्तिलाल बसेर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 02.07.2019

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के कि.मी. 197–350 से 227–000 तक चित्तौड़गढ़–निम्बाहेड़ा– नीमच खण्ड (मध्यप्रदेश सीमा तक, निम्बाहेड़ा बाईपास सहित) के निर्माण (चौड़ा करने पेव्ड शोल्डर सहित चारलेन का बनाने) हेतु प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम जलियां की आवासीय भूमि खसरा नम्बर 262 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि को अवाप्त करते हुए राशि 2,29,309/–रूपये के मुआवजे का एवार्ड आदेश दिनांक 01.07.2014 को पारित किया जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण ने पारित एवार्ड आदेश के विरूद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 42/2015 (रा.अ.)
श्री कैलाश चन्द्र हेड़ा निवासी चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से संबंधित पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी दाधीच ने अधिकार-पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी से पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आवेदन मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की अधिग्रहित की गई आवासीय भूमि होकर उसके पत्थर की बाउण्ड्रीवाल 200 फीट लम्बी, नींव 4 फीट गहरी व जमीन से 4 फीट उंची पक्की दीवाल होकर 2 फीट चौडी थी जिसका कुलिया क्षेत्रफल 3200 वर्ग फीट होकर करीबन 2.00 लाख रूपये की लागत थी जिसका कोई मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अवार्ड आदेश मे तय नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद मौका विवरण पत्र में प्रार्थीगण की भूमि पर 60 मीटर लगभग पत्थर की कोट बनी होना स्वीकार किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीवाल की कोई मुआवजा राशि तय नहीं करने से प्रार्थीगण 2.00 लाख रूपये मय ब्याज के प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर 2.00 लाख रूपये एवं उस पर 10 प्रतिशत सोलिशियम राशि जोडकर संशोधित अवार्ड पारित करा राशि दिलायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण को उसकी अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 815/262 रकबा 0.04 हैक्टेयर का राजस्व रेकार्ड में किस्म आबादी दर्ज होने से भूमि की किस्म अनुसार दोनो प्रार्थीगण को पृथक्-पृथक् चैक मुआवजा राशि का दिया गया है जिसे प्रार्थीगण ने सहर्ष स्वीकार किया है। प्रार्थीगण द्वारा अन्य तथ्य अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर अंकित किये हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व रेकार्ड का एवं मौका पर्चा रिपोर्ट का सम्यक अवलोकन करा संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को मौके पर भेजकर मौके एवं रिपोर्ट की पुष्टि करने के उपरान्त ही तहसीलदार एवं पटवारी रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए नियमानुसार एवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि पर कोई दीवार का निर्माण किया हुआ नहीं था और न ही कोई निर्माण सामग्री पडी हुई थी। राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण कर जिन्स गिरदावरी का राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया तत्पश्चात् सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाया गया, तदुपरान्त दोनों अधिकारियों की सर्वे रिपोर्ट सही व तथ्यात्मक होने पर भूमि की किस्म के अनुसार एवं जिन्स गिरदावरी का मिलान कर वर्तमान प्रचलित बाजार दर (डी. एल. सी.) से ही राजमार्ग

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 42/2015 (रा.अ.)
श्री कैलाश चन्द्र हेड़ा निवासी चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक

अधिनिराम, 1956 की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि जोडते हुए एवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए मन मकसूद तरीके से तथ्यों से परे जाकर बढ़ा चढाकर मुआवजा राशि की मांग की है जो स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिसके अनुसार प्रारम्भ में पटवारी हल्का जलियां द्वारा प्रस्तुत मौका परीक्षण में प्रार्थीगण की भूमि पर लगभग 60 मीटर कच्ची पत्थर कोट होना दर्शाया है किन्तु पुनः राजस्व अधिकारियों एवं अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रा. उ. रा. मार्ग खण्ड द्वारा मौके पर दुबारा जांच कर भौतिक सत्यापन करने पर उसमें कोई पत्थर की कोट होना नहीं पाया गया है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन करने जिनका सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निम्बाहेड़ा द्वारा किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा निर्धारण किया गया है तथा प्रार्थीगण को उनकी भूमि की किस्म अनुसार आवासीय दर से अधिनियम की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय राशि जोडते हुए मुआवजा भुगतान किया गया है।

साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ कार्यालय में तथा इस न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसकी भूमि पर पत्थर कोट होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित एवार्ड आदेश दिनांक 01.07.2014 विधि-सम्मत् होकर एवार्ड आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण का आवेदन खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official